राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2152/2016..... जिला : जयपुर

मैसर्स रानीवाला ज्वैलर्स प्रा.लि.,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत–एन, वाणिज्यिक कर, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य**	
07.10.16	अपीलार्थी की ओर से श्री जतिन हरजाई, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38 (4) के पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वृत–एन, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए अधिनियम की धारा 24(4) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 11.07.2016 पारित कर रू. 31,76,846/–की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग की वसूली को स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली हेतु विवादित पर रोक लगाने से इनकार करने के कारण यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्णतः भ्रामक एवं अविधिक है। उनका कथन है कि प्रथम तिमाही का जरिए चेक नम्बर 011095 दिनांक 10.07.2013 को रू. 80,000/–जमा कराया गया था और दिनांक 13.04.2013 को रविवार तथा दिनांक 14.04.2014 को अम्बेडकर जयन्ती का अवकाश होने के कारण दिनांक 15.04.2014 को आन लाईन रू. 2,66,090/–जमा कराये गये थे। उनका कथन है कि राजपत्रित अवकाश होने के कारण ड्यू कर अवकाश के अगली तारीख को जमा कराया गया है किन्तु उसे विलम्ब से जमा मानर कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 11.07.2016 को कर निर्धारण आदेश पारित कर रू. 31,76,846/–मांग सृजित की ह। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बिना कोई ठोक कारण अंकित किये कर निधारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग पर स्थगन प्रदान नहीं किया है,जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विरूद्ध है। उन्होंने अवकाश के सम्बन्ध में एफ.नम्बर 12/4/2014–जेसीए–2, भारत सरकार,कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक,न्यू देहली दिनांक 12.03.2014 को जारी आफिस मेमोरेन्डम की प्रति एवं राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प.6 (2)साप्रा/6/2013 दिनांक 10.12.2013 को जारी सार्वजनिक अवकाश /ऐच्छिक की प्रति प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 31,76,846/– को स्थगित करने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय द्वारा कम्पोजीशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंधन किये जाने के कारण	

07/10/16

सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से उभय पक्ष की सुनने के पश्चात स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी,उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान विचार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन से उजागर होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ड्यू टैक्स समय पर जमा नहीं कराया गया है इसलिए कम्पोजीशन के प्रावधानों का उल्लंघन होने से मांग सृजित की है, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत एफ. नम्बर 12/4/2014–जेसीए–2, भारत सरकार,कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक,न्यू देहली दिनांक 12.03.2014 को जारी आफिस मेमोरेन्डम एवं राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प.6 (2)साप्रा/6/2013 दिनांक 10.12.2013 को जारी सार्वजनिक अवकाश /ऐच्छिक की प्रतियों पर विचार करने के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित मांग राशि रू. 31,76,846/–की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, वसूली की कार्यवाही को इस निर्णय की प्राप्ति से तीन माह के लिए स्थगित किया जाता है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का निस्तारण तीन माह में करना सुनिश्ति करें।

निर्णय सुनाया गया।

07/10/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य